क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय, के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website www.rpcb.nic.in, Email ro.balotara@gmail.com

राप्रनिमं/क्षे.अ./बालोतरा/स्टोर/2020–21/4577 दिनांकः 17/03/2021

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा के भण्डार में अनुपयोगी, अप्रचलित, नकारा सामान– 1. सामान्य जैसे टेबल, कुर्सी आदि (पुस्तक मूल्य रु. 76272/–), 2. ई–वेस्ट जैसे कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि (पुस्तक मूल्य रु. 213014/–) तथा 3. यूपीएस (पुस्तक मूल्य रु. 83568/–) की नीलामी दि. 30.03.2021 को कार्यालय परिसर में प्रातः 11.00 बजे नीलामी समिति द्वारा की जावेगी। अतः सभी इच्छुक बोलीदाता नीलामी की निम्न शर्तों पर नीलामी में भाग ले सकते है–

नीलामी हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले उल्लेखित पुस्तक मूल्य की 2 प्रतिशत बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करानी होगी।
2. सामान्य सामान, ई–वेस्ट तथा यूपीएस उपकरण की नीलामी अलग–अलग होगी। पात्र बोलीदाता एक या तीनों नीलामियों में अलग–अलग बयाना राशि जमा करवाकर भाग ले सकते है।
3. ई–वेस्ट (कम्प्यूटर तथा संबंधित उपकरण) की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को ई–कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। उक्त पंजीकरण की प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करने पर ई–वेस्ट संबंधी नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
4. यूपीएस उपकरण की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम–2020 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। उक्त पंजीकरण की प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करने पर ई–वेस्ट संबंधी नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
5. असफल बोली लगाने वालों को उक्त बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) नीलामी समाप्त होने के बाद लौटा दी जावेगी।
6. एक बार बोली समाप्त होने पर अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नही की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
7. नीलाम सामान के परिवहन इत्यादि का समस्त खर्च सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
8. उच्चतम बोली की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य बालोतरा के नाम से जमा करवानी होगी।
9. नीलामी के दिन से तीन दिन के भीतर नीलाम किये गये अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। तीन दिन में राशि जमा नही करवाने सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. नीलाम किये गये अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री को नीलामी के दिन से 3 दिवस के अन्दर उठाना आवश्यक है। 3 दिवस में सामान नही उठाने पर 1000/– रूपये प्रति दिन की दर से जुर्माना वसूला जावेगा।
11. अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री जहाँ है, जैसी है, उसी हालात में नीलाम की जावेगी। अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, बालोतरा उत्तरदायी नही होगा।
12. राज्य मण्डल का कोई भी वर्तमान एवं पूर्व कार्मिक बोली में भाग नही ले सकेगा।
13. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने, बोली को स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
14. उक्त शर्तो के सम्बन्ध में किसी भी सन्देह का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
15. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डार अधिकारी से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
16. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र बालोतरा न्यायक्षेत्र रहेगा।

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय, के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर

Website www.rpcb.nic.in, **Email** ro.balotara@gmail.com

17. इच्छुक फर्म/संस्था/सम्बन्धित व्यक्ति (कबाड़ी) बिना किसी शर्त के नीलामी में भाग लेगे।
18. नीलामी में भाग लेने वाली फर्म/संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन अनिवार्य होगा, जो सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार जमा कराया जावेगा।
19. सफल बोलीदाता द्वारा सफल बोली राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अधिरोपित करों (जीएसटी आदि) का भी भुगतान किया जावेगा।
20. अन्य शर्ते जो कोई भी, नीलामी कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी।

राप्रनिमं/क्षे.अ./बालोतरा/स्टोर/2020–21/4578-4583 **दिनांकः** 17-03-2021

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

4578 — 1. सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

4579 — 2. ए.सी.पी., रा.प्र.नि.मं., जयपुर को विभागीय वेबवाईट पर अपलोड करने हेतु।

4580 — 3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर–सम्भाग, जोधपुर।

4581 — 4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर, जिला बाड़मेर।

4582 — 5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा।

4583 — 6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

(अमित जुयाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., बालोतरा